

Secretariat India
Pb. II Sec. 2(i)
dt. 3.12.69
pp 4-5

108 (17) 26

Government of India
Ministry of Home Affairs

New Delhi, the 20th December, 1969

NOTIFICATION

G.S.R. 5.- In exercise of the powers conferred by section 2 of the Union Territories (Laws) Act, 1950 (30 of 1950), and in continuation of the notifications of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No.S.R.O. 1223, dated the 12th April, 1957, and G.S.R. 1298, dated the 4th September, 1965, the Central Government hereby further extends to the Union territory of Delhi section 151A of the Bombay Police Act, 1951 (Bombay Act No.XXII of 1951), as in force in the state of Maharashtra at the date of this notification.

ANNEXURE

Section 151A of the Bombay Police Act, 1951, as in force in the State of Maharashtra, as extended to the Union territory of Delhi.

151A.- Summary disposal of certain cases.- (1) A Court taking cognizance of an offence punishable under section 117, or under paragraph (iii), (iv) or (v) of section 131, may state upon the summons to be served on the accused person that he may, by a specified date prior to the hearing of the charge plead guilty to the charge by registered letter and remit to the Court such sum, not exceeding twenty-five rupees, as the Court may specify.

(2) Where an accused person pleads guilty and remits the sum specified, no further proceedings in respect of the offence shall be taken against him.

[No.F.3/4/69-UTL]-108

(P.N. Kaul)
Deputy Secretary to the Government of India

No.F.3/4/69-UTL New Delhi-1, 20 December, 1969

Copy with a copy of the Hi-ndi version of the notification forwarded to:-

1. Secretary (Law & Judicial), Delhi Administration with reference to his letters No.F.1/10/69-Law dated the 12th November, 1969 and 16th December, 1969 respectively.
2. Ministry of Law (Leg. Department) New Delhi with reference to their U.O. No.2001/69-SRO dated the 17th May, 1969.
3. Copy with one spare copy to the Ministry of Law (Trans. I Section) Bhagwan Dass Road, New Delhi.
4. Copy to Delhi/DHS Sections.

P.N. Kaul
(P.N. Kaul)
Deputy Secretary to the Government of India

...

Gupta/-

(भारत के राजपत्र, भाग 1, खण्ड 3(1) में प्रकाशित)

संख्या फा० 314169-यू टो एल

भारत सरकार, गृह मंत्रालय

79 28

नई दिल्ली-1, दिनांक 11 दिसम्बर, 1969

अधिसूचना

सा० का० नि० सर्व राज्यक्षेत्र (विधियाँ) अधिनियम, 1950 (1950 का 30) को धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचनाओं सं० का० नि० आ० 1223, तारीख 12 अप्रैल, 1957 और सा० का० नि० 1298 तारीख 4 सितम्बर, 1965 के क्रम में, केन्द्रीय सरकार मुम्बई पुलिस अधिनियम, 1951 (1951 का मुम्बई अधिनियम सं० 22), जैसा कि वह इस अधिसूचना को तारीख को महाराष्ट्र राज्य में प्रवृत्त है, को धारा 151 के अन्तर्गत दिल्ली के सर्व राज्य क्षेत्र पर और आगे विस्तार करती है।

उपाबंध

मुम्बई पुलिस अधिनियम, 1951, जैसा कि वह महाराष्ट्र राज्य में प्रवृत्त है, को दिल्ली के सर्व राज्यक्षेत्र पर यथा विस्तारित, धारा 151 के

151 क - कतिपय मामलों का संक्षिप्त निष्पत्ता -

(1) धारा 117 के अधीन या धारा 131 के पैरा (iii), (iv) या (v) के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान करने वाला न्यायालय अभियुक्त व्यक्ति पर तामील किए जाने वाले समन पर यह कथित कर सकेगा कि अभियुक्त आरोप को सुनवाई से पूर्व वाली विनिर्दिष्ट तारीख तक रजिस्ट्रीकृत पत्र द्वारा आरोप के लिए दोषी होने का अभिवचन कर सकता है और न्यायालय को पचीस रुपये से अनधिक को ऐसी राशि भेज सकता है जो न्यायालय विनिर्दिष्ट करे।

(2) जहाँ अभियुक्त व्यक्ति दोषी होने का अभिवचन करे और विनिर्दिष्ट राशि भेज दे, वहाँ अपराध के संबंध में उसके विरुद्ध और आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

(सं० फा० 314169-यू टो एल)

(पी० एन० कौल)

उप सचिव, भारत सरकार

महा प्रबन्धक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
के. विंग. नई दिल्ली।